मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सिग्नेचर बिल्डिंग, टावर-2, पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

डीजी परिपत्र संख्या-51 /2019 दिनांक:लखनऊ:दिसम्बर 05 ,2019

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

विषय- क्रिमिनल मिस बेल अप्लीकेशन संख्या-23824/2019, अब्दुल रज्जाक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं एवं जमानती प्रार्थना पत्रो में निर्धारित समयावधि में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय से पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये जा चुके हैं, जिनका कतिपय जनपदों द्वारा अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

डीजी परिपत्र संख्याः 24/2018 दिनांक 24.05.2018
डीजी परिपत्र संख्याः 11/2017 दिनांक 22.05.2017
डीजी परिपत्र संख्याः 34/2016 दिनांक 10.06.2016
डीजी परिपत्र संख्याः 24/2015 दिनांक 15.04.2015
डीजी परिपत्र संख्याः 30/2015 दिनांक 28.04.2015
डीजी परिपत्र संख्याः 71/2014 दिनांक 24.11.2014
डीजी परिपत्र संख्याः 71/2013 दिनांक 13.12.2013

2- क्रिमिनल मिस बेल अप्लीकेशन संख्या-23824/2019, अब्दुल रज्जाक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में निर्धारित समयावधि में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2019 के प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

> ***'It is very unfortunate. This Court finds that in several cases of bail applications inspite of order/direction of the Court, counter affidavits have not been filed and several times personal affidavits of SSP/SP concerned were called for but this Court finds no progress. Hence this Court finds it proper to inform higher authorities about non-compliance of orders of the Court inspite of repeated warning and instructions etc.***
> ***A copy of this order be sent to Principal Secretary(Home), State of U.P., Lucknow and the Chief Secretary, State of U.P.***
> ***It is expected that Principal Secretary(Home), State of U.P., Lucknow will take necessary action on this issue and inform this Court on or before 6.12.2019.'***

3- प्रश्नगत रिट याचिका में समय से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जनपद संभल, मेरठ, आगरा, सिद्धार्थनगर जनपद का निर्धारित अवधि में शपथपत्र दाखिल न करने का उल्लेख किया है।

4- मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित याचिकाओं में प्रायः जनपद स्तर से समय से प्रति शपथ-पत्र दाखिल न होने के कारण शासन/पुलिस के उच्चाधिकारियों को मा0 न्यायालय के समक्ष बार-बार उपस्थित होने हेतु तलब किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिकाओं में निर्धारित समयावधि में शपथपत्र दाखिल करने हेतु प्रकरणों का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है।

5- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रतिशपथ-पत्र/आख्या दाखिल करने के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु निर्धारित समयावधि में प्रत्येक दशा में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कराया जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो।

Scanned by CamScanner

6- अतः आपको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र/आख्या दाखिल करने सम्बन्धी निर्देशों का अक्षरशः समयबद्ध रूप में अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा निर्धारित समयावधि में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता भविष्य में क्षम्य नहीं होगी।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः-(1)निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः-(2)अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन को कृपया अवलोकनार्थ।

Scanned by CamScanner